10 रु. Rs.10

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2220–पीबीआर / 14 जिला – धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों [illegible] अभिभाषक [illegible] के हस्ताक्षर
24–7–14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सिंह कुशवाह एवं अनावेदक म. प्र. शासन की ओर से अधिवक्ता श्री एच. के. अग्रवाल उपस्थित । उभयपक्षों को प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार, तहसील धार जिला धार (म.प्र.) द्वारा अचल संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा हेतु जारी सूचना पत्र प्रकरण कमांक 1 / अ76 / 12–13 आदेश दिनांक 10–7–14 के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आलोच्य सूचनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा उनके स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमियों पर बिना विकास अनुमति के कार्य किये जाने से उन पर 1,13,50,400/- की शास्ति आरोपित किए जाने के कारण उक्त भूमियां वसूली हेतु कुर्क की गई हैं । आवेदक द्वारा जो आपत्तियां निगरानी आवेदन में एवं तर्कों में उठाई गई हैं उनको आवेदक को सूचनापत्र के उत्तर में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था किंतु ऐसा न करते हुए उनके द्वारा सीधे इस न्यायालय के समक्ष आने का कोई औचित्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अपरिपक्व होने से अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, [illegible] मंडल, म.प्र., ग्वालियर	

10 रु. Rs.10

INDIA

सत्यमेव जयते

दस रुपये TEN RUPEES

[illegible] माननीय [illegible] महोदय [illegible]

प्र.क्र. [illegible]

[illegible]

[illegible]

बनाम

[illegible] शासन

[illegible]

[illegible] कोटि [illegible]